न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी, मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 281/15

दायर दिनांक 08.09.2015

1. बृजलाल
2. तारुराम } पिसरान मंगलाराम अकवाम नायक निवासीयान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. इन्द्राज नाथ वल्द रतूनाथ जाति नाथ निवासी वार्ड न0 4 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. हरुनाथ
3. सुभाषनाथ } पिसरान रामनाथ
4. महावीर नाथ
5. जयमलनाथ } पिसरान जेठनाथ } अकवाम नाथ निवासीयान चक 1 केएसपीएम तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. गिरधारी नाथ वल्द शेरनाथ अकवाम नाथ निवासीयान चक 1 केएसपीएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
7. श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 [illegible] (2) व 212 आरटीए

उपस्थित :—

(1) भगीरथ बिश्नोई अभिभाषक, प्रार्थी
(2) श्री सोमप्रकाश शर्मा, श्री प्रमेन्द्र सिह भाटी, अभिभाषक अप्रार्थीगण
(3) पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ

निर्णय दिनांक 20.01.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि चक 1 केएसपीएम प0न0 31/17 कि0न0 3 की 0.253 है0 को हम प्रार्थीगण घोषित करवाने का एक वाद श्रीमानजी के न्यायालय मे अलग से प्रस्तुत किया हुआ है तथा निवेदन किया कि उक्त रकबा हमारे पिता मंगलाराम पुत्र बालूराम के नाम सें रोही भोजेवाला व ख0न0 26/3 में 42—00 बीघा का रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। उक्त रकबा चकबन्दीयों मे पैमूद होने पर चक 1 केएसपीएम तथा चक 2 केएसपीएम में पैमूद हो गया है चकबन्दी मे पैमूद होने पर चक 1 केएसपीएम के प0न0 31/17 कि0न0 3 की 1—00 बीघा गैर कानूनी रुप से अप्रार्थीगण के नाम से फिट कर दिया है, जबकि उक्त किला प्रार्थीगण के खसरा नम्बर से ही बना है। अप्रार्थीगण ने उक्त किला नम्बर 3 वाद पत्र के निर्णय से पूर्व उक्त रकबा को रहन बैय द्वारा हस्तान्तरण करने की फिराक मे है। प्रार्थीगण को कब्जा काश्त से बेदखल करने पर उतारु है, इसलिये अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे के जैरप्रकरण भूमि को रहन बैय हस्तान्तरण ना करे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे दखलदांजी ना करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व पूर्व में दिनांक 08.09.2015 को जारी स्थगन आदेश को स्थाई कर दौराने वाद भूमि रहन बैय हस्तान्तरण ना करे, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने स्थगन आदेश ताफैसला वाद करने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थीगण के तथ्यों का खण्डन करते हुये अपना बेदखली का दावा जैरकार होने तथा स्वंय को खातेदार कृषक होना साबित किया, वर्तमान मे मुताबिक रिकार्ड प्रार्थीगण के नाम वादाधीन भूमि अंकित नहीं है, जहां तक फिटिंग गलत होने का प्रशन है उसका निस्तारण पूर्ण जांच व साक्ष्यों के आधार पर वाद मे होना है, जब तक दावा का अन्तिम निर्णय नहीं होता है तब तक प्रार्थीगण वादाधीन भूमि का फसल लाभ अनुचित रुप से नहीं उठा सकते है, इससे अप्रार्थीगण का भारी नुकसान हो रहा है।

कमश :—

उभय पक्षों की बहस व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात यह अदालत इस निष्कर्ष पर पंहुची है कि दायर वाद में अन्तिम निस्तारण मे अभी समय लगेगा तथा उससे पूर्व वादाधीन भूमि का लाभ प्रार्थीगण न उठाये तथा रिकार्डड काश्तकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस साबित नहीं है, ऐसी सूरत में अदालत हाजा द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.09.2015 निरस्त की जाती है तथा रिकार्डड खातेदार के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र 212 आरटीए चाहने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकृति का होने से नाकाबिल चलने के है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीए निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.28 17:10:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: